न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 190/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/180**
दायर दिनांक :– 04.09.2024 **निर्णय दिनांक :– 02.12.2024**

1. सखीनों पुत्र अलादीन पत्नी कमाल खां पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई तहसील बाप हाल निवास होपारड़ी तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. सईदों पुत्री अलादीन पत्नी शेरे खां पुत्र जमें खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई तहसील बाप जिला फलोदी
3. इनायतों पुत्री अलादीन पत्नी यारू खां पुत्र आलम खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई हाल निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अनूकुमारी पत्नी मनीष प्रकाश जाति अहीर निवासी पाली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
2. मुनेश पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति अहीर निवासी पाली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
3. करनसिंह पुत्र मामचन्द जाति अहीर निवासी पाली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
4. रेशमों पुत्री अलादीन खां पत्नी फकरे खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी डूमाडेरी खानपुरा (जालोड़ा) तहसील लोहावट जिला फलोदी
5. मीमो पुत्री अलादीन खां पत्नी आमद खां जाति मुलसमान निवासी मोहरा तहसील फलोदी हाल निवासी मलार मगरा, गोदरली फौत के कायम मुकाम

5/1 अमीरदीन पुत्र आमद खां जाति मुसलमान निवासी मोहरा तहसील फलोदी जिला फलोदी
5/2 अमीन खां पुत्र आमद खां जाति मुसलमान निवासी मोहरा तहसील फलोदी जिला फलोदी
5/3 मूसे खां पुत्र आमद खां जाति मुसलमान निवासी मोहरा तहसील फलोदी जिला फलोदी
5/4 अखी मोहम्मद पुत्र आमद खां जाति मुसलमान नि. मोहरा तहसील फलोदी जिला फलोदी
5/5 जैनी पुत्री आमद खां पत्नी आमद खां जाति मुसलमान निवासी कानासरिया ननेउ तहसील फलोदी जिला फलोदी
5/6 एमी पुत्री आमद खां पत्नी याकूब खां जाति मुसलमान नि. होपारड़ी तह. व जिला फलोदी
5/7 नसीबो पुत्री आमद खां पत्नी नजीर मोहम्मद पुत्र अली खां जाति मुसलमान निवासी मोहरा फौत के कायम मुकाम
5/7/1 उमर खां पुत्र नजीर मोहम्द जाति मुसलमान निवासी मरोहरा हाल निवास मलार मगरा गोदरली तहसील व जिला फलोदी
5/7/2 असकर खां पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी मरोहरा हाल निवास मलार मगरा गोदरली तहसील व जिला फलोदी
5/7/3 रोशन खातु पुत्री नजरी मोहम्मद पत्नी मेहबूब खां पुत्र अजीज खां जाति मुसलान निवासी मोहरा तहसील व जिला फलोदी
5/7/4 कमा पुत्री नजीर मोहम्मद पत्नी फिरदोस पुत्र जमाल खां जाति मुलसमान निवासी मोहरा तहसील व जिला फलोदी
5/7/5 सलमा पुत्री नजरी मोहम्मद पत्नी फिरदोस पुत्र आमद खां जाति मुसलमान निवासी मोहरा तहसील व जिला फलोदी
5/7/6 साइना पुत्री नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मलार मगरा गोदरली तह. फलोदी
5/7/7 बसुड़ी पुत्री नजरी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मलार मगरा गोदरली तह. फलोदी
प्रतिवादी संख्या 5/7/6 ता 5/7/7 नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता नजीर मोहम्मद
5/7/8 अफसीना पुत्री नजीर मोहम्मद पत्नी मुजिफर पुत्र आलमदीन जाति मुसलमान निवासी मोहरा तहसील फलोदी हाल निवासी चारणाई तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

02.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी

3 श्री पर्वतसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वक्त भू–प्रबन्ध मूल खसरा नम्बर 248 रकबा 1372–00 बीघा, खसरा नम्बर 288 रकबा 87–00 बीघा भूमि ग्राम जाम्बा में राजवी तख्तसिंह जी मजकूर के नाम बाद पैमाईश दर्ज अभिलेख की गई। ग्राम जाम्बा स्थित मूल खसरा नम्बर 248 रकबा 1372–00 बीघा में से रकबा 56–00 बीघा, खसरा नम्बर 288 रकबा 87–00 बीघा कुल रकबा 143–00 बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 85 ग्राम जाम्बा काश्तकारान अलादीन पुत्र रमजू खां 1/2 हिस्सा, आदम खां पुत्र फरीद खां 1/2 हिस्सा सह खातेदारी में दर्ज अभिलेख हुई। उक्त भूमि के सहखातेदार अलादीन खां पुत्र रमजे खां के फौत होने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के कुल रकबा में मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार अलादीन खां के विधिक उत्तरजीवीगण प्रार्थीगण, उनकी बहिने अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक में 1/6–1/16 हिस्सा एवं उनके भाई मुबारक खां में 2/16 हिस्सा तथा प्रार्थीगण की माता करीमों में 1/16 हिस्सा भूमि निहित हुई। अलादीन खां के फौत होने पर उक्त भूमि के कुल रकबा में विरासत में मुसिल्म उत्तराधिकार विधि अनुसार प्रार्थीगण, उनकी बहिने अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 प्रत्येक का 1/6–1/16 हिस्सा, प्रार्थीगण के भाई मुबारक का 2/16 हिस्सा, तथा प्रार्थीगण की माता करीमों 1/16 निहित होने के बावजूद मुबारका खां ने तत्कालीन हल्का पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत जाम्बा से मिलावट कर कूट रचना से सरासर गलत विरासत नामान्तरकरण संख्या 338 ग्राम जाम्बा प्रार्थीगण, प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 व करीमों को विरासत नामान्तरकरण में शामिल किये बिना मुबारक खां ने अकेले अपने नाम खुलवाकर गलत स्वीकृत करवाया, नामान्तरकरण संख्या 338 ग्राम जाम्बा प्रार्थीगण के हकूको के विरूद्व शुरू शून्य व अवैध होने से प्रार्थीगण निरस्त करवाने की हकदार है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 व उनके भाई मुबारक खां की माता करीमों के फौत हो जाने पर उसमें निहित हिस्सा मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार प्रार्थीगण उनके भाई मुबारक खां अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 में निहित हो जाने से ग्राम जाम्बा से अलग होकर नवसृजित ग्राम चारणाई में स्थित खसरा नम्बर 288 रकबा 87–00 बीघा, खसरा नम्बर 248/1 रकबा 56–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक को 1/14–1/14 हिस्सा, उनके भाई मुबारक खां में 2/14 हिस्सा भूमि निहित हुई, प्रार्थीगण इसी हिस्सानुसार खातदारी अधिकारों की घोषणा करवाने

02/12/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की हकदार है। प्रार्थीगण के भाई मुबारक खां ने ग्राम चारणाई में स्थित खसरान् की भूमि में राजस्व अभिलेख में अपने नाम गलत 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज होने की आड में कुल रकबा के अपने वास्तविक 2/14 हिस्सा रकबा 12–08 बीघा से अधिक रकबा 43–10 बीघा का बेचान गफूर खां, बरियाम खां पुत्रगण आरब खां को और खसरा नम्बर 248/1 कुल रकबा 56–00 बीघा भूमि में राजस्व में अपने नाम गलत 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज होने की आड मे कुल रकबा के अपने वास्तविक 2/14 हिस्सा भूमि रकबा 08–00 बीघा से अधिका रकबा 28–00 बीघा भूमि का बेचान बरियाम खां पुत्र आरब खां को कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 104 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया। प्रार्थीगण के भाई मुबारक खां को खसरा नम्बर 288 रकबा 87–00 बीघा भूमि में 1/2 हिससा का 2/14 हिससा रकबा 12–08 बीघा और खसरा नम्बर 248/1 रकबा 56–00 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा का 2/14 हिससा रकबा 8–00 बीघा भूमि विक्रय करने का ही जायज अधिकार प्राप्त था, मुबारक खां द्वारा अपने जायज हिस्से से अधिका भूमि को विक्रय प्रार्थीगण के हकूको के विरूद्व शुरू से ही शून्य व अवैध है। खसरा नम्बर 288 रकबा 43–10 बीघा भूमि गफूरखां, बरियाम खां पुत्र आरब खां व खसरा नम्बर 248/1 में रकबा 28–00 बीघा भूमि बरियाम खां पुत्र आरब खां ने आगे गणपतराम पुत्र घीसूलाल को बेचान कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 275 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया, गणपतलाल पुत्र घीसूलाल द्वारा अपने नाम दर्ज खसरा नम्बर 248/1 में रकबा 28–00 बीघा भूमि में से रकबा 13–00 बीघा भूमि करणसिंह यादव पुत्र मामचन्द, राजेन्द्र यादव पुत्र दयानन्द ब्रहमदत पुत्र रामनाथ प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा विक्रय कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 404 ग्राम चारणाई खसरा नम्बर 248/27 गलत स्वीकृत करवाया गया, गणपतलाला पुत्र घीसूलाल ने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बर 288 में रकबा 43–10 बीघा भूमि करणसिंह यादव पुत्र मामचन्द , राजेन्द्र यादव पुत्र दयानन्द, ब्रहमदत पुत्र रामनाथ प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा विक्रय कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 405 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया, ख्सरा नम्बर 248/1 में गणपतराम पुत्र घीसूलाल ने अपने नाम दर्ज शेष रकबा 15–00 बीघा भूमि आगे दर्शना देवी पत्नी सज्जनसिंह को विक्रय कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 410 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया। ब्रहमदत पुत्र रामनाथ ने खसरा नम्बर 288 रकबा 43–10 बीघा, खसरा नम्बर 248/27 रकबा 13–00 बीघा भूमि में अपना 1/3 हिस्सा भूमि दर्शना देवी पत्नी सज्जनसिंह को विक्रय कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 454 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया। राजेन्द्र यादव पुत्र दयानन्द ने खसरा नम्बर 248/27 रकबा 13–00 बीघा भूमि और खसरा नम्बर 288 रकबा 43–10 बीघा भूमि में अपना 1/3 हिस्सा भूमि करनसिंह पुत्र मामचंद को बेचान कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 460 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया। दर्शना देवी पत्नी सज्जनसिंह ने खसरा नम्बर 248/1 रकबा 15–00 बीघा व खसरा नम्बर 248/27 रकबा 13–00 बीघा भूमि में अपना 1/3 हिस्सा भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 1/3 को विक्रय कर देने पर नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम चारणाई गलत स्वीकृत करवाया गया। उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 104, 275, 404, 405, 410, 454, 460 व 509 ग्राम चारणाई प्रार्थीगण के हकूको के विरूद्व होने से शुरू से शून्य व अवैध है जिन्हे प्रार्थीगण निरस्त

02.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण को भय है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मुबारक खां के साथ मिलकर प्रार्थीगण को उनके हिससे की भूमि से बेदखल करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण के जायज हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा और उन्हे अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में आंका जाना व क्षतिपूर्ति किया जाना असम्भंव होगा। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये कानून ऐसा करने से रोका जाना आवश्यक है, प्रार्थीगण दावेदार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की और से ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, अप्रार्थी संख्या 4, 5/1 ता 5/6 तथा 5/7/1 ता 5/7/8 की और से पर्वतसिंह भाटी ने इकबिलया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ग्राम चारणाई के खसरा नम्बर 288 रकबा 7.0418 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248/1 रकबा 2.4281 हैक्टयेर व खसरा नम्बर 248/27 रकबा 2.1044 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के खरीद की जो पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरणों साबित है। प्रार्थीगण अलादीन पुत्र रमजू खां की पुत्रियां है या नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 रेकर्डेड खातेदार है तथा मकान, टयूबवैल निर्मित है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

02.12.24

सहायक कलेक्टर

बाप (फलो...)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बेचान, कृषि ऋण आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04.09.2024 खारिज की जाती है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

02.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)